उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

संख्या-3/1203/92-2014-18(जांच)/2013,

लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद बाराबंकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आर0आर0पी0-2 के अन्तर्गत स्वीकृत अपग्रेडेशन के मार्गो में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमन्त्रित की गयी निविदा में अनियमितताओं हेतु शासन के कायार्लय ज्ञाप संख्या-1278/92-2013-18जांच /2013, दिनांक 30-3-2013 द्वारा श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय को निलम्बित कर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- अपचारी अधिकारी श्री के0के0 मिश्रा के विरूद्व प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक जांच की प्रक्रिया के अन्तर्गत श्री मिश्रा द्वारा अपना लिखित बचाव उत्तर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त श्री मिश्रा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर एवं अन्य अभिलेखों सहित अपनी जांच आख्या दिनांक 10-5-2013 शासन को उपलब्ध करायी गयी। तदोपरान्त जांच आख्या में उल्लिखित प्रतिकूल बिन्दुओं पर श्री मिश्रा का अभिकथन प्राप्त करते हुए उसके परीक्षणोपरान्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिये जाने में कतिपय प्रक्रियात्मक समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत शासन के आदेश दिनांक 28-5-2013 द्वारा उक्त प्रकरण में श्री के0के0 मिश्रा को सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलन में रहेगी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में श्री मिश्रा के विरूद्व पाये गये कतिपय प्रतिकूल बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 31-5-2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या की प्रति श्री मिश्रा को प्रेषित करते हुए उनका अभिकथन/अभ्यावेदन मांगा गया। श्री मिश्रा द्वारा अपना अभिकथन/अभ्यावेदन दिनांक 04-6-2013 शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या, श्री के0के0 मिश्रा से प्राप्त अभ्यावेदन/अभिकथन दिनांक 04-6-2013 एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्व-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ सम्प्रति

http://shasnadesh.up.nic.in

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमंडल-कानपुर को निम्नवत **'परिनिन्दित'** करते हुए उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1278/92-2013-18जांच/2013, दिनांक 30-3-2013 द्वारा संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीक़ति प्रदान करते हैं -

" जनपद बाराबंकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आर0आर0पी0-2 के अर्न्तगत स्वीक़त अपग्रेडेशन के मार्गो में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमन्त्रित की गयी निविदाओं के बन्द लिफाफों को निविदादाताओं की उपस्थिति में न खुलवाने, लिफाफे में तीनों मूल प्रपत्रों के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने के अंकन की कार्यवाही न कराने तथा आनलाइन सबमिट निविदाओं का परीक्षण न कराने के दोषी हैं।"

उक्त परिनिन्दा **वर्ष 2013-14** के लिये मानी जायेगी।।

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3/1203(1)/92-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- मुख्य अभियन्ता(पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमंडल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमंडल-कानपुर।

4- गार्डफाइल/चरित्र पंजिका में रखने हेतु।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in